<u>भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/14/2026– डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 19 **मार्च**, 2026

<u>जांच शुरुआत अधिसूचना</u>

मामला सं. एडी (ओआई) –13/2026

(सेतु केस आईडी-एडी/ओआई/014/2026)

विषय: <u>चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित '1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामेथिल-6,7-डायहाइड्रोनाफ्थेलेन-2-वाईएल) एथेनोन' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।</u>

फा. सं. 6/14/2026– डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रुप में कहा गया है) के अनुसार, केवा फ्रैग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद 'आवेदक' के रुप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रुप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामेथिल-6,7-डायहाइड्रोनाफ्थेलेन-2-वाईएल) एथेनोन" (जिसे इसके बाद 'संबद्ध वस्तु' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' के रुप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति हो रही है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "1-(3,5,5,6,8,8-हेक्सामेथिल-6,7-डायहाइड्रोनाफ्थेलेन-2-वाईएल) एथेनोन" है, जिसमें 21145-77-7 और 1506-02-, सीएएस नंबर हैं, और विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है, जिसमें टोनालाइड, टोनालिड, मस्कोफिक्स, गैनोलिड, फिक्सोलाइड, एएचटीएन, मस्क एएचएमटी, अल्ट्रामस्क, लैनोलिड, मस्क टेट्रालिन, डर्नालाइड, मिथाइल नोनिल एसिटोफेनोन, केवोलिड, टेंटारोम, टेट्रालाइड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। उत्पाद का रासायनिक सूत्र $C_{18}H_{26}O$ है। उत्पाद का आणविक भार 258.40 ग्राम/मोल है। यह एक सिंथेटिक पॉलीसाइक्लिक कस्तूरी यौगिक है, जिसे रासायनिक रूप से टेट्रालिन कीटोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से 'बेस नोट फिक्सेटिव' (सुगंध को टिकाऊ बनाने वाले तत्व) और 'वॉल्यूम बढ़ाने वाले' (सुगंध की तीव्रता बढ़ाने वाले) के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग मर्दाना खुशबू (परफ्यूम), पाउडर जैसे कस्तूरी आधाररित मिश्रणों, अन्य पीसीएम या नाइट्रोमस्क के साथ लेयरिंग करने में और कपड़ों को मुलायम बनाने वाले (फैब्रिक सॉफ्टनर), डियोड्रेंट तथा साबुन जैसे कार्यात्मक सुगंधित उत्पादों में किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत शीर्ष 2914 3990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान अवस्था में आवेदक ने किसी भी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं दिया है। वर्तमान जांच में भाग लेने वाले पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और पीसीएन (स्पष्टीकरण सहित), यदि कोई हो तो इस जांच की शुरुआत की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर प्रस्तावित कर सकते हैं।

ख. <u>समान वस्तु</u>

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो संबद्ध देश से निर्यात की गई हैं, वे आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के

तकनीकी विनिर्देशों, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में, संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तुओं से तुलनीय विशेषताएं हैं। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अत:, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजन के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' के रूप में माना जा रहा है।

ग. **<u>घरेलू उद्योग और आधार</u>**

8. यह आवेदन केवा फ्रैग्रेंसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है और आवेदक भारत में समान वस्तु का 100% उत्पादन करता है।

9. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि जांच की अवधि के दौरान वह संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक या संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबंधित नहीं था। जबकि आवेदक का चीन जन. गण. में एक संबद्ध उत्पादक है, उक्त उत्पादक ने जांच की अवधि से पहले निर्माण और बिक्री गतिविधियां बंद कर दी थीं।

10. इसके अलावा, आवेदक ने यह प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया। आवेदक ने स्पष्ट किया है कि उसने जांच की अवधि से पहले केवल बहुत ही कम मात्रा में संबद्ध वस्तु का आयात किया था। हालांकि, ऐसे आयात असंबद्ध देशों से किए गए थे और या तो ग्राहक द्वारा अस्वीकृति के कारण स्वयं-निर्मित सामग्री का पुनः आयात थे, या स्टॉक निकासी के लिए संबद्ध पक्षों से आयात थे।

11. उपरोक्त को देखते हुए, यह नोट किया जाता है कि आवेदक का हिस्सा भारत में कुल भारतीय उत्पादन का 100% है। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते है कि आवेदक कुल घरेलू उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सेदार हैं और नियम 2(ख) के संदर्भ से घरेलू उद्योग का गठन करते हैं और आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

घ. **<u>संबद्ध देश</u>**

12. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ङ. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

13. वर्तमान जांच के लिए विचार की गई जांच की अवधि 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) है। क्षति विश्लेषण की अवधि में जांच की अवधि और तीन विगत वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात्, 1 अप्रैल 2022 – 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 – 31 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024 – 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. <u>कथित पाटन का आधार</u>

सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन, गण, को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन, गण, के उत्पादकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे यह प्रदर्शित करें कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है। जब तक कि चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति मौजूद है, उनके सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए।

15. वर्तमान जांच शुरुआत करने के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रुप में माना है और किसी अन्य आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड में जानकारी न होने की स्थिति में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य को भारत में देय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया है। सामान्य मूल्य आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर तैयार किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के लिए उचित लाभ के साथ समायोजित किया गया है।

निर्यात कीमत

16. संबद्ध वस्तुओं की निर्यात कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तुओं की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसा कि डीजीसीआईएंडएस के लेनदेन-वार डेटा में सूचित किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह खर्च, आंतरिक माल भाड़ा,

क्रेडिट लागत, कमीशन और सूची रखरखाव लागत को देखते हुए मूल्य समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना बाह्य निर्यात कीमत पर पहुंचा जा सके।

पाटन मार्जिन

17. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य मूल्य स्तर पर तुलना की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दिखाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से ऊपर है और संबद्ध देश से निर्यातित उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। अतः इस बात के लिए *प्रथम दृष्टया साक्ष्य* है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध देश के उत्पाद का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध</u>

18. घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के आकलन के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदक ने प्राथमिक प्रमाण प्रदान किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का अत्यधिक पाटन हो रहा है। यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, आयात की मात्रा अवधि के दौरान, गणनीय और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ जबकि आयातों का बढ़ा। संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से काफी कम हैं और घरेलू कीमतों का ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपने माल को लागत से नीचे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और नकदी हानि हुई। घरेलू उद्योग ने अपनी लगाए गए पूंजी पर नकारात्मक आय दर्ज की। उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया, जबकि इसे भंडारण के संचय का सामना करना पड़ा है।

19. इस बात के पर्याप्त *प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य* हैं कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ज. <u>पाटनरोधी जांच की शुरुआत</u>

20. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से प्रस्तुत पूरी तरह से प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्ट्या साक्ष्यों* के आधार पर संतुष्ट हो जाने के बाद, जो कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन की पुष्टि करते हैं, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और ऐसे पाटन व क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करते हैं और अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी यह घोषणा करते हें कि वह एक जांच की शुरुआत करते है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संदर्भ में पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव क्या है और उचित पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. <u>प्रक्रिया</u>

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में यथाउल्लिखित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के साथ सभी पत्राचार और अनुरोध उनके पंजीकृत नाम और संबंधित सेतु केस आईडी-एडी/ओआई/014/2026 के तहत सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्चयोग्य पीडीएफ/ एमएस-वर्ड प्रारूप में हो और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

23. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उसके दूतावास के माध्यम से, और भारत में उत्पाद से संबद्ध ज्ञात आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी संबंधित जानकारी प्रस्तुत कर सकें। इस तरह की समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों, और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचना में उल्लिखित रूप में और तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।

24. कोई भी अन्य हितबद्ध पक्षकार वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी अनुरोध इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं द्वारा निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

25. किसी भी पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत किए जाने पर यह आवश्यक है कि वही पक्षकार उसकी अगोपनीय प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध कराए।

26. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर नियमित रूप से दृष्टि रखें और इस संबद्ध जांच में आगे की कार्रवाई से अवगत रहें और समय-समय पर जारी की जाने वाली प्रश्नावली के स्वरूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/ बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र सूचना, संशोधन की अधिसूचना और अन्य इसी प्रकार की जानकारी के बारे में अवगत रहें।

ट. <u>समय सीमा</u>

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित मामले की सेतु केस आईडी-एडी/ओआई/014/2026 के तहत सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों पाठों, गोपनीय पाठ (सीवी) और अगोपनीय पाठ (एनसीवी), को निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना आवश्यक है और यह अपलोड उस तारीख से 37 दिनों के भीतर करना होगा जब घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन का अगोपनीय पाठ प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त रणनीतिक प्रतिनिधि को भेजा जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी होती है, तो प्राधिकारी उपलब्ध रिकॉर्ड और नियमों के अनुसार तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते है।

28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे तत्काल मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) के संबंध में सूचित करें और इस सूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपना प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करें।

29. पीयूसी/ पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दर्ज करने की 15-दिवस की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

30. पीयूसी/ पीसीएन में संशोधन किए जाने के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी द्वारा बाद में जारी सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में संशोधन किया जाता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था या जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिन का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां पर जांच शुरुआत होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 15-दिन के समय विस्तार के बाद (यदि प्रदान किया गया है), आगे समय विस्तार करने के लिए अनुरोध पर, नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

31. किसी भी समय विस्तार के लिए अनुरोध संबद्ध पक्षकार द्वारा सेतु पोर्टल के माध्यम से ऊपर पैरा 25 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

32. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के संदर्भ में और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी जानकारी का एक अगोपनीय पाठ एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण उत्तर/ अनुरोधों को अस्वीकार किया जा सकता हैं।

33. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी अनुरोध (परिशिष्ट/ अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षकारें को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

34. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। किसी भी अनुरोध को जो इस प्रकार के अंकन के बिना प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करें।

35. गोपनीय पाठ में सभी जानकारी शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ या अन्य जानकारी जो उस जानकारी के प्रदाता द्वारा गोपनीय बताई जाती है। ऐसी जानकारी जो गोपनीय प्रकृति की बताई जाती है, या ऐसी जानकारी जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस जानकारी के प्रदाता को वह जानकारी प्रस्तुत करते समय एक उचित कारण का विवरण भी प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी क्यों प्रकट नहीं की जा सकती।

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई जानकारी का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की एक प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी को वरीयता के साथ सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ा जाए (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) और ऐसी जानकारी का उचित और पर्याप्त सारांश दिया जाना चाहिए, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।

37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तार में होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की सामग्री को उचित रुप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी जानकारी का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और कारणों का ऐसा विवरण प्रदान करना आवश्यक है जिसमें यह स्पष्ट और पर्याप्त रूप से समझाया गया हो कि ऐसा सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है, और यह विवरण प्राधिकारी के लिए संतोषजनक होना चाहिए।

38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के प्रसार की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की परीक्षा पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध

उचित नहीं है या यदि जानकारी का प्रदाता जानकारी को सार्वजनिक करने या इसके विशिष्ट या सारांश रूप में प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो यह ऐसी जानकारी की अनदेखी कर सकता है।

40. किसी भी अनुरोध को, जिसमें इसका कोई सार्थक अगोपनीय पाठ नहीं है या जिसमें नियमावली के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और उचित कारण का विवरण नहीं है, और प्राधिकारी द्वारा जारी की गई उचित व्यापार सूचना को, गोपनीयता के दावे पर, प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. <u>सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण</u>

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

ढ़. <u>असहयोग</u>

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणामों को दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

अमिताभ कुमार

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी